अध्याय - 6

औषधियों का क्रय और वितरण

अध्याय 6: औषधियों का क्रय और वितरण

रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए औषधियाँ अनिवार्य आवश्यकता हैं। आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए विभिन्न स्रोतों से औषधियाँ उपलब्द्ध करायी जाती हैं। मिशन के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी निधियों से राज्य आयुष सोसायटी औषधियां क्रय करती है जो कि आयुष औषधालयों और चिकित्सालयों को औषधि आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भी राज्य के बजट से औषधियाँ क्रय करते हैं[1] और उन्हें अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन औषधालयों और चिकित्सालयों को आपूर्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ व राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, पीलीभीत राज्य के बजट से औषधि का उत्पादन करते हैं तथा इसे राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों और चिकित्सालयों को आपूर्त करते हैं। प्रदेश में होम्योपैथिक औषधियों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कोई राजकीय औषधि निर्माणशाला नहीं है।

6.1 मिशन के अंतर्गत आयुष औषधियों का क्रय और वितरण

मिशन के दिशानिर्देश (सितंबर 2014 और जुलाई 2022) आयुष सेवाओं के अनिवार्य घटक का प्रावधान करते हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति सम्मिलित है। तदनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में आयुष औषधियों के क्रय के लिए ₹ 512.76 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी। मिशन के अंतर्गत आयुष औषधियों के क्रय और वितरण में अवलोकित विसंगतियों की चर्चा परवर्ती प्रस्तरों में की गयी है:

6.1.1 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के स्पष्ट वर्गीकरण और वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु किसी वैज्ञानिक आधार का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयुष औषधालयों और 4/15/25 शैय्या वाले चिकित्सालयों का कोई निश्चित वर्गीकरण नहीं था। पुनः वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए न तो कोई आधार था, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आने वाले रोगियों की संख्या, और न ही कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जैसे कि इन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को प्रासंगिक औषधियां प्रदान करने के लिए

[1] क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी और राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्राचार्य जड़ी-बूटियाँ (कच्ची औषधियां) भी खरीदते हैं।

क्षेत्र विशेष की समस्याओं का चिन्हांकन। वर्ष 2015-16 से 2022-23 की अवधि में मांगी गई न्यूनतम व अधिकतम धनराशियों में औचित्य का अभाव था तथा बिना किसी बाटम-अप दृष्टिकोण का पालन किए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की प्रत्येक श्रेणी को एक समान प्रकार और मात्रा में औषधियों की आपूर्त की गई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- विभिन्न वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की विभिन्न श्रेणियों का अतार्किक और भिन्न समूहीकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रत्येक समूह के लिए एक समान मांग में प्रत्येक वर्ष उतार चढ़ाव था तथा यह आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के लिए 0.05 लाख से 5.00 लाख (100 गुना) और होम्योपैथिक औषधियों के लिए 0.03 से 3.00 लाख (100 गुना) के मध्य था जो यह इंगित करता है कि निधियों की मांग में वैज्ञानिक आधार का अभाव था। राज्य आयुष सोसायटी द्वारा की गयी निधियों की इन मांगों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

- इसके अतिरिक्त, प्रति होम्योपैथिक औषधालय ₹ 1.00 लाख की मांग के सापेक्ष मिशन निदेशालय ने प्रति औषधालय ₹ 3.00 लाख स्वीकृत किए थे (सितंबर 2021) जो कि 2021-22 की अवधि में मांगी गई धनराशि का तीन गुना था। धरातल पर इसकी मांग का आंकलन किये किया बिना ही धनराशि को तीन गुना कर दिया गया था, विशेषकर तब जबकि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ₹ 31.14 करोड़ की समेकित आपूर्ति का आदेश मार्च 2021 में दिया गया था। इसके अतिरिक्त आवश्यक औषधि सूची में पहले से सम्मिलित सामान्य होम्योपैथिक औषधि युक्त किट भी, जिनका मूल्य ₹ 15.21 करोड़ था, औषधालयों को आपूर्त की गई (2021-22) थी।

- वर्ष 2015-16 और 2017-18 से सम्बन्धित आयुर्वेदिक औषधियों के लिए ₹ 1.24 करोड़ की अवशेष धनराशि का उपयोग करने के उद्देश्य से राज्य आयुष सोसायटी ने उत्तर प्रदेश के 74 जनपदों में से प्रत्येक को ₹ 1.60 लाख मूल्य की औषधियों और जनपद लखनऊ को ₹ 4.00 लाख मूल्य की औषधियों की समान मात्रा की आपूर्त के लिए ₹ 1.24 करोड़ का क्रय आदेश दिया (फरवरी 2020), यद्यपि जनपदों में औषधालयों और 4 शैय्या वाले चिकित्सालयों की संख्या 3 से 57 के मध्य तथा 15 और 25 शैय्या वाले चिकित्सालयों की संख्या शून्य से 5 के मध्य थी।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि क्रय के लिए औषधियों की सूची राज्य आयुष सोसायटी में गठित एक तकनीकी समिति द्वारा जनपदों से प्राप्त और

निदेशालय स्तर पर संकलित मांगों की समीक्षा करने के उपरांत निर्धारित की जाती है तथा औषधियां भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आवंटित बजट के सीमान्तर्गत क्रय की जाती हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए निदेशालयों द्वारा प्रस्तुत और तकनीकी समिति द्वारा विचारित कोई अभिलेख सम्प्रेक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। नमूना-जांच किए गए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी और जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की लेखापरीक्षा से पता चला कि इन कार्यालयों को कभी भी अपनी मांग प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया था और मिशन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके औषधियों का क्रय किया गया था, जैसा कि प्रस्तर 6.1.3 में चर्चा की गई है।

6.1.2 आवश्यक आयुष औषधियों का आंशिक क्रय

मिशन के आयुष सेवा दिशानिर्देश (सितंबर 2014), अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करते हैं कि "मिशन के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक औषधियों को आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की आवश्यक औषधि सूची को प्रयुक्त कर अधिप्राप्त करना होगा"।

चार्ट-5 में दिए गए विवरण आवश्यक औषधि सूची (मार्च 2013 और जनवरी 2022) में प्रावधानित आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी की आवश्यक औषधियों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और जिनके सापेक्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में राज्य आयुष सोसायटी द्वारा क्रय किया गया था:

चार्ट 5: आयुष विभाग, भारत सरकार की आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में निर्धारित औषधियों की संख्या और राज्य आयुष सोसायटी (राआसो) द्वारा क्रय की गई औषधियों की संख्या

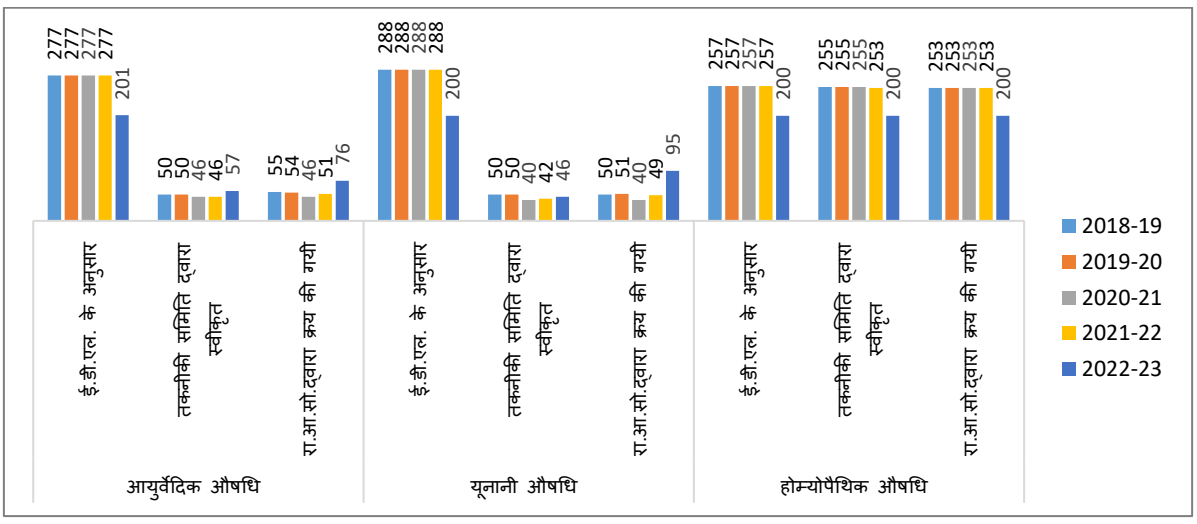

(स्रोत: राज्य आयुष सोसायटी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

आवश्यक आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की कम संख्या का क्रय भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी जिसमें कहा गया है कि "सभी चिकित्सा प्रणालियों में आवश्यक औषधि सूची बाध्यकारी है और यह पारंपरिक औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीति का एक अभिन्न अंग है"।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक औषधि सूची का अर्थ यह नहीं है कि सभी औषधियां क्रय जानी थीं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों, जिनमें कहा गया है कि सभी चिकित्सा प्रणालियों में आवश्यक औषधि सूची बाध्यकारी है, को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

6.1.3 औषधियों का अनियमित क्रय

आयुष सेवा के लिए मिशन के दिशानिर्देश (सितंबर 2014) अन्य बातों के साथ-साथ 50 प्रतिशत औषधियों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड (फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन), या राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, औषधि निर्माणशालाओं और सहकारी समितियों से, जिनके द्वारा स्वयं की उत्कृष्ट उत्पादन कार्यप्रणाली का अनुपालन करने वाली इकाइयों में निर्मित औषधियों का निर्माण किया जा रहा हो, तथा शेष 50 प्रतिशत वैध लाइसेंसधारी अन्य उत्कृष्ट उत्पादन कार्यप्रणाली अनुपालन करने वाली इकाइयों से क्रय करने का प्रावधान करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के विरुद्ध एक सहकारी समिति[2] द्वारा योजित एक प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नामांकन के आधार पर फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन से आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय को 'अवैध' करार दिया था और निविदाएं आमंत्रित करने के बाद पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर औषधि क्रय के लिए उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया[3] था (अक्टूबर 2019)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय को यथावत रखा (जनवरी 2023)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मिशन के दिशानिर्देशों और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए राज्य आयुष सोसायटी ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि में नामांकन के आधार पर अर्थात बिना निविदाएं आमंत्रित किए फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन से ₹ 389.37 करोड़ मूल्य

---

[2] मेसर्स केरल आयुर्वेदिक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।

[3] यह निर्णय बजट मैनुअल के पैराग्राफ 174 (13) (आई) के अनुरूप था, जो खुले और सार्वजनिक रूप से प्रतिस्पर्धी निविदाएं प्राप्त किए बिना अनुबंध करने को वित्तीय अनियमितता मानता है, सिवाय उन मामलों के जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी सामान्य या विशेष नियम या आदेश द्वारा ऐसी निविदाएं प्राप्त करने की आवश्यकता का अधित्याग कर दिया गया हो।

की शत-प्रतिशत आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों तथा गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (गोवा एंटीबायोटिक्स) से ₹ 108.53 करोड़[4] मूल्य की होम्योपैथिक औषधियों के क्रय, दरों की उपयुक्तता को समर्थित करने हेतु बार-बार यह अभिलिखित कर कि "फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन की कीमतों[5] को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परीक्षण कर लिया गया है", क्रय किया। प्रसंगवश केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसने अपनी औषधीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन के निगमन (1978) को प्रेरित किया, तथा अन्य राज्यों[6] ने निविदाएं आमंत्रित करके औषधियों को क्रय किया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (जनवरी 2023) के बाद भी राज्य आयुष सोसायटी ने यह अवधारित किया (फरवरी 2023) कि आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन से और होम्योपैथिक औषधियों का गोवा एंटीबायोटिक्स से कम से कम 50 प्रतिशत अंश, क्रय किया जाना बाध्यकारी है। निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना आपूर्ति आदेश देने के परिणामस्वरूप राज्य आयुष सोसायटी को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी दरों पर औषधियाँ क्रय करने से वंचित होना पड़ा और शासन की स्वयं की औषधि निर्माणशाला का कम उपयोग हुआ। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि:

- मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप, राज्य आयुष सोसायटी की क्रय समिति ने राज्य आयुष सोसायटी के स्तर पर दर-अनुबंध निष्पादित करके होम्योपैथिक औषधियों के क्रय को विकेन्द्रित करने तथा दर अनुबंधित फर्मों को आपूर्ति आदेश देने और उसके सापेक्ष भुगतान करने के लिए जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को धन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया (जनवरी 2018)। तदनुसार, राज्य आयुष सोसायटी ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 से सम्बन्धित ₹ 16.39 करोड़[7] की धनराशि निदेशक, होम्योपैथ

---

[4] होमको से 2018-19 के दौरान ₹ 4.55 करोड़ के क्रय को छोड़कर।

[5] फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन से क्रय की गई औषधियों की दरों का परीक्षण व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्प्रेक्षा के सिमित उद्द्येश्य के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण ही औषधि की दरों को स्वीकृति देता है। वित्त मंत्रालय के पास आयुर्वेदिक दवाओं की दरें निर्धारित करने की शक्ति और विशेषज्ञता नहीं है।

[6] आयुष निदेशालय, उड़ीसा सरकार ने फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों के अंतर्गत स्थापित औषधि निर्माणशालाओं और सहकारी समितियों से औषधियों को क्रय करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं।

[7] होम्योपैथिक औषधियों के लिए 2015-16 के दौरान स्वीकृत ₹ 7.88 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 2016-17 की अवधि में ई-टेंडर के माध्यम से ₹ 2.19 करोड़ का क्रय किया गया। वर्ष 2015-16 से 2017-18 से सम्बन्धित (₹ 5.69 करोड़ + ₹ 15.75 करोड़ + ₹ 0.50 करोड़=) ₹ 21.94 करोड़ की उपलब्ध धनराशि में से राज्य आयुष सोसाइटी ने धनराशि का 5 प्रतिशत कुल ₹ 1.10 करोड़ की धनराशि निदेशक, होम्योपैथिक सेवाएं को शीशियों के क्रय के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया (मार्च 2018) जिसमें से (₹ 21.94 करोड़ - ₹ 1.10 करोड़=) ₹ 20.84 करोड़ की धनराशि शेष बची । यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अंश का ₹ 4.45 करोड़ निर्गत नहीं किया। इस प्रकार, (₹ 20.84 करोड़ - ₹ 4.45 करोड़=) ₹ 16.39 करोड़ की निधि शेष बची थी।

को हस्तांतरित की (जून 2018)। यद्यपि इसके पश्चात् यह व्यवस्था बंद कर दी गई और राज्य आयुष सोसायटी ने नामांकन के आधार पर गोवा एंटीबायोटिक्स को आपूर्ति आदेश देना प्रारम्भ कर दिया।

- अपने चिकित्सालयों को आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम लिमिटेड औषधि निर्माताओं से निविदाएं आमंत्रित करता है और उनके साथ दर-अनुबंध निष्पादित करता है। राज्य आयुष सोसायटी द्वारा फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन से क्रय की गई (अक्टूबर 2021) ₹ 86.16 करोड़ मूल्य की 51 में से 41 आयुर्वेदिक औषधियों की दरों की तुलना, 13 उत्कृष्ट उत्पादन कार्यप्रणाली प्रमाणित फर्मों के साथ निष्पादित कर्मचारी राज्य बीमा निगम लिमिटेड के दर-अनुबंध में उपलब्ध औषधियों से करने पर पता चला कि राज्य आयुष सोसायटी ने पर्याप्त रूप से अधिक दरों पर औषधियों का क्रय किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.62 करोड़ की हानि हुई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-8*** में दिया गया है।

शासन ने कहा (जनवरी/फरवरी 2025) कि मिशन ने आयुष मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्र (फरवरी 2020) के आधार पर, जिसमें यह कहा गया है कि "फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन को अन्य फार्मेसियों के बराबर नहीं रखा जा सकता", फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन से शत-प्रतिशत आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों तथा गोवा एंटीबायोटिक्स से होम्योपैथिक औषधियों के क्रय को नामांकन के आधार पर क्रय करने की अनुमति दी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मिशन के दिशानिर्देश, निविदाओं को आमंत्रित किए बिना फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन से औषधि क्रय करने की अनुमति नहीं देते हैं तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (अक्टूबर 2019) में इन सभी तर्कों पर विचार किया था, नामांकन के आधार पर औषधियों के क्रय को 'अवैध' करार दिया था, एवं उत्तर प्रदेश शासन को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर औषधि क्रय करने का निर्देश दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय (जनवरी 2023) को यथावत रखा था।

6.1.4 औषधीय किट का अनुचित क्रय

बजट मैनुअल के अध्याय 1 के प्रस्तर 12 में प्रावधान है कि "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक धन से व्यय के संबंध में वैसी ही सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए जैसी कि एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतेगा"।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य आयुष सोसायटी ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए ऐसी औषधीय किट क्रय की जिसमें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के पास पहले से उपलब्ध औषधियां सम्मिलित थी अथवा औषधीय किट देरी से तब क्रय की जबकि इनकी आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी, जैसा कि पश्चातवर्ती प्रस्तरों में इसकी चर्चा की गई है:

- भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य वार्षिक कार्य-योजना के अंतर्गत 36.22 लाख होम्योपैथिक औषधीय किट (₹ 42 प्रति किट की दर से) क्रय करने के लिए ₹ 15.21 करोड़ की स्वीकृति दी थी (सितंबर 2021)। तदनुसार, राज्य आयुष सोसायटी ने गोवा एंटीबायोटिक्स को ₹ 15.21 करोड़ मूल्य की 36.22 लाख किट की आपूर्ति के लिए क्रयादेश दिया[8] (अक्टूबर 2021)। किट में 4 सामान्य औषधियाँ (होम्योपैथी निदेशालय में गठित तकनीकी समिति द्वारा मई 2021 में अनुशंसित) अर्थात आर्सेनिक एल्बम 30 (1 ड्राम), ब्रायोनिया एल्बा 30 (1 ड्राम), यूपेटोरियम परफोलिएटम (1 ड्राम) और रस टॉक्स 30 (1 ड्राम) सम्मिलित थीं। ये औषधियाँ वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ₹ 31.14 करोड़ के समेकित आपूर्ति आदेश (मार्च 2021) के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में पहले से ही औषधालयों और चिकित्सालयों के पास उपलब्ध थीं, जैसा कि प्रस्तर 6.1.5 में चर्चा की गई है। पहले से उपलब्ध औषधियों के उपयोग के बजाय होम्योपैथिक किट क्रय करने के परिणामस्वरूप ₹ 31.14 करोड़ मूल्य की होम्योपैथिक औषधियों का अनुचित क्रय हुआ।
- चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव-2022 की घोषणा (जनवरी 2022) की और दिशा-निर्देश जारी (जनवरी 2022) किये जिसमें कोविड से बचाव के निर्देश और चुनाव ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कार्मिक को प्रदान की जाने वाली किट (मास्क, सैनिटाइजर, फेस-शील्ड और दस्ताने) सम्मिलित थी। यद्यपि दिशा-निर्देशों में ऐसे कोई निर्देश नहीं थे और चुनाव आयोग द्वारा मांग भी नहीं की गई थी, प्रमुख सचिव, आयुष ने पूर्ववर्ती आपूर्ति आदेश (अक्टूबर 2021) के सापेक्ष जनपदों में उपलब्ध और आपूर्तकर्ता से प्राप्त होने वाली क्रमशः 3 लाख और 5 लाख आयुरक्षा किटों में से चुनाव ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को 7.50 लाख आयुरक्षा किट उपलब्द्ध कराने का निर्णय (जनवरी 2022) लिया। निर्णय के विपरीत और राज्य वार्षिक कार्य योजना

[8] तदनुसार, राज्य आयुष सोसायटी ने गोवा एंटीबायोटिक्स को ₹ 10.21 करोड़ का आपूर्ति आदेश दिया (मई 2021)। इसके पश्चात् पोस्ट कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल के अंतर्गत औषधियों के क्रय के लिए भारत सरकार से प्राप्त परामर्श के आधार पर राज्य आयुष सोसायटी ने गोवा एंटीबायोटिक्स को दिए गए ₹ 10.21 करोड़ के आपूर्ति आदेश को ₹31.14 करोड़ के पश्चातवर्ती आपूर्ति आदेश (मार्च 2021) में सम्मिलित कर दिया।

में अनुमोदन के बिना राज्य आयुष सोसायटी ने ₹ 20.00 करोड़[9] मूल्य की 7.63 लाख किटों की आपूर्त का आदेश यह कहते हुए कि ऐसा उच्च स्तर[10] पर निर्णित किया गया है, निर्गत किया (फरवरी 2022)। यह आदेश 8 फरवरी 2022 को निर्गत किया गया था जबकि मतदान 10 फरवरी 2022 से ही प्रारम्भ होना था।

- उत्तर प्रदेश शासन के निर्णय (जनवरी 2022) में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि में किट को वितरित करने का प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन द्वारा मतदान पूरा होने के उपरांत ₹ 3.71 करोड़ मूल्य की 1.48 लाख किट की आपूर्त की गई जबकि ₹ 9.38 करोड़ मूल्य की 3.75 लाख किट की आपूर्ति की ही नहीं गई। इस प्रकार, किट क्रय करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि आयुष-64 और आयुरक्षा किट का क्रय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदन के बाद किया गया था तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को होम्योपैथिक किट उपलब्ध कराने का निर्णय शासन के स्तर पर लिया गया था। यद्यपि शासन ने आवश्यक औषधि सूची से परे औषधियों के क्रय तथा जनपदों में उपलब्ध 8 लाख आयुरक्षा किटों में से चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को किट उपलब्ध कराने के निर्णय (जनवरी 2022) के बावजूद 7.50 लाख किटों के क्रय के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया।

6.1.5 औषधियों का क्रय नही किया जाना/अनुचित क्रय किया जाना

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजना के आधार पर मिशन के अंतर्गत भारत सरकार धनराशि स्वीकृत करती है। सामान्य वित्तीय नियम के नियम 238 (i) में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्बन्धित संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

तालिका 9 में मिशन के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2022-23 की अवधि में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के क्रय के लिए स्वीकृत धनराशि,

---

[9] वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक स्वास्थ एवं कल्याण केंद्र (13.00 करोड़), मोबिलिटी सपोर्ट (₹ 1.50 करोड़), आयुष ग्राम (₹ 1.80 करोड़), पब्लिक हेल्थ आउटरीच (₹ 1.00 करोड़), औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 0.56 करोड़) और प्रशासनिक लागत (₹ 2.14 करोड़) के लिए कुल ₹ 20.00 करोड़ के आवर्ती अनुदान के सापेक्ष, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित (फरवरी 2022) किया गया था।

[10] उच्च स्तर का विवरण अभिलेखों में उपलब्द्ध नहीं था|

निर्गत आपूर्ति आदेश और आपूर्तित औषधियों के लिए किए गए भुगतान का वर्षवार विवरण दिया गया है।

तालिका 9: वर्ष 2017-18 से 2022-23[11] की अवधि के मध्य मिशन के अंतर्गत आयुष औषधियों के क्रय के लिए स्वीकृत धनराशि, निर्गत आपूर्ति आदेश, आपूर्तित औषधियां और किए गए भुगतान को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	स्वीकृत धनराशि	अपुर्ति आदेश की धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि
आयुर्वेदिक औषधि			
2015-18	6408.80	6265.22	6265.22
2018-19	4244.00	0.00	0.00
2019-20	4244.00	8611.06	8611.06
2020-21	6348.00	6347.87	6347.87
2021-22	12803.06	12670.71	12670.71
2022-23	6745.00	5931.65	5931.65
योग	**40792.86**	**39826.51**	**39826.51**
यूनानी औषधि			
2015-18	812	811.98	811.98
2018-19	536.00	0.00	0.00
2019-20	536.00	1072.00	1072.00
2020-21	517.00	516.91	516.91
2021-22	2773.11	2772.45	2772.45
2022-23	1154.00	1013.92	1013.92
योग	**6328.11**	**6187.26**	**6187.26**
होम्योपैथिक औषधि			
2015-18	2412.5	1967.61	1967.61
2018-19	1615.50	0	0
2019-20	1616.50	0	0
2020-21	40.50	3114.41	3114.41
2021-22	6316.74	6316.74	6316.74
2022-23	1720.00	1421.39	1421.39
योग	**13721.74**	**12820.15**	**12820.15**

(स्रोत: राज्य आयुष सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

[11] आपूर्ति आदेशों और किए गए भुगतानों के आंकड़ों में पिछले वर्षों में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 2023-24 में दिए गए आपूर्ति आदेश सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- धनराशि की उपलब्धता के बावजूद वर्ष 2016-17 और 2018-19 की अवधि में कोई भी आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां नहीं क्रय गईं। वर्ष 2016-17 और 2018-19 के लिए प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित आपूर्त आदेश वर्ष 2020-21 और 2019-20 की अवधि के मध्य दिए गए, साथ ही सम्बन्धित वर्षों के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष प्राप्त धनराशि हेतु भी आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त यद्यपि 11 पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों का संचालन दिसम्बर 2021 से प्रारम्भ किया गया था और वर्ष 2021-22 के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष औषधियों को क्रय करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी (दिसंबर 2021) किन्तु ₹ 1.97 करोड़ का आपूर्ति आदेश मई 2022 में दिया गया था।
- वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित ₹ 568.09 लाख की अवशेष धनराशि तथा 2016-17 और 2017-18 की अवधि में क्रमशः ₹ 1575.00 लाख और ₹ 50.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होम्योपैथी निदेशालय द्वारा निष्पादित दर-अनुबंध के अंतर्गत जिला स्तर पर औषधियों को क्रय करने के लिए राज्य आयुष सोसायटी ने जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्द्ध कराने के लिए निदेशक, होम्योपैथी को ₹ 1638.53 लाख की धनराशि हस्तांतरित की (जून 2018)। पुनः राज्य आयुष सोसायटी ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए स्वीकृत ₹ 1615.50 लाख और ₹ 1616.50 लाख की धनराशि के सापेक्ष कोई भी होम्योपैथिक औषधि क्रय नहीं की। चूंकि धनराशि व्यय नहीं हुई इसलिए भारत सरकार ने 2020-21 की अवधि में राज्य वार्षिक कार्य योजना में की गई ₹ 2200.00 लाख की मांग के सापेक्ष होम्योपैथिक औषधियों के लिए कोई भी धनराशि स्वीकृत[12] नहीं की। इसके परिणामस्वरूप होम्योपैथिक औषधालयों और चिकित्सालयों में औषधियों की कमी हो गई।
- होम्योपैथिक औषधियों हेतु वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राज्य आयुष सोसायटी ने मार्च 2021 में ₹ 31.14 करोड़

[12] मिशन की 12 जून 2020 की बैठक में मूल्यांकन समिति ने पाया कि "राज्य सरकार के पास ₹ 31.51 करोड़ (राज्यांश सहित) की राशि अव्ययित पड़ी हुई थी। इस संबंध में राज्य के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया है कि इस कार्यकलाप के लिए अव्ययित राशि, प्रकरण के न्यायालय के अधीन होने के कारण है और इसलिए वे औषधियों के क्रय हेतु कोई आदेश नहीं दे पा रहे हैं। मूल्यांकन समिति ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वे मिशन के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से औषधियां क्रय कर सकते हैं। मूल्यांकन समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि सबसे पहले उन्हें पिछले वर्ष की धनराशि का उपभोग करना चाहिए और मंत्रालय को उसी का उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि इस कार्यकलाप के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान के समर्थन की कोई आवश्यकता है तो इसे पूरक राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन समिति ने प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी|

का आपूर्ति आदेश दिया। राज्य आयुष सोसायटी ने वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत ₹ 63.17 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष भी अक्टूबर 2021 में ₹ 63.17 करोड़ का आपूर्ति आदेश दिया। इस प्रकार, राज्य आयुष सोसायटी ने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2021-22 के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सात महीनों के भीतर कुल ₹ 94.31 करोड़ का आपूर्ति आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष के भीतर औषधालयों और चिकित्सालयों को तीन गुनी मात्रा में औषधियों की आपूर्ति हुई।

उपरोक्त तथ्य औषधियों को क्रय न करने/अनुचित क्रय करने को इंगित करते हैं।

शासन ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के लिए 2015-16 की शेष धनराशि सहित 2017-18 की अवधि में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष क्रय आदेश फरवरी 2020 में निर्गत किये गये थे और कहा कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के मध्य न्यायालयीय प्रकरण के कारण होम्योपैथिक औषधियों के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष क्रय नहीं किये गये थे किन्तु, बाद में मिशन के निर्देश पर क्रय आदेश जारी किए गए थे तथा राज्य के बजट से क्रय की गई होम्योपैथिक औषधियां, औषधालयों और चिकित्सालयों में उपलब्ध थीं। तथापि शासन ने 7 महीने के अन्दर ₹ 94.31 करोड़ मूल्य की औषधियों के क्रय के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि राज्य के बजट से क्रय गई औषधियां चिकित्सालयों और औषधालयों के लिए पर्याप्त थीं तो मिशन के अधीन और अधिक धनराशि प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, न्यायालयीय प्रकरण के लंबित होने के बावजूद औषधियां क्रय की गईं, किन्तु देरी से।

6.1.6 औषधियों की आपूर्ति में विलम्ब

उत्तर प्रदेश क्रय मैनुअल 2016 के प्रस्तर 4.3 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि अनुबंध प्रपत्रों के पूर्व निष्पादन के बिना किसी भी प्रकार का क्रय प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए, सभी अनुबंधों में ठेकेदार की ओर से चूक के लिए परिनिर्धारित क्षति की वसूली तथा आपूर्ति में विलम्ब और संतोषजनक कार्य निष्पादन हेतु सुरक्षात्मक प्रावधान होना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र[13] में अपनाई जाने वाली मानक प्रथाओं में 'आपूर्ति की अवधि' की समाप्ति के बाद औषधि की आपूर्ति पर परिनिर्धारित क्षति का प्रावधान किया जाता है।

[13] महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश सरकार, औषधियों आदि की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ दर-अनुबंध करते थे। आपूर्ति की शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 60 दिनों की समाप्ति के बाद औषधियों की आपूर्ति के किसी भी अनिष्पादित आदेश के स्वतः निरस्त होने और आपूर्तिकर्ता से अनिष्पादित आदेश के मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति की वसूली को सम्मिलित किया जाता था, भले ही मांग करने वाले अधिकारी को औषधियों की आपूर्ति न होने के कारण कोई क्षति/हानि हुई हो या नहीं। ओडिशा सरकार भी निविदा प्रक्रिया अपनाकर मिशन के अंतर्गत औषधि क्रय करती है और आपूर्ति की अवधि के बाद आपूर्ति की गई औषधि पर परिनिर्धारित क्षति वसूल करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य आयुष सोसायटी ने आयुर्वेद और यूनानी औषधियों के क्रय के लिए फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन को तथा होम्योपैथिक औषधियों के क्रय के लिए गोवा एंटीबायोटिक्स को आपूर्ति के मूल्य के 50 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान कर आपूर्ति का आदेश दिया। यद्यपि इन्होने आपूर्ति की निर्धारित तिथियों को सम्मिलित करते हुए आपूर्तिकर्ताओं के साथ कभी कोई अनुबंध नहीं किया। आठ चयनित जनपदों के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों और जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों, दो जनपदों के क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों, वाराणसी के पचास शय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय और 5 चयनित राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के मध्य ₹ 64.33 करोड़ की कुल आपूर्ति के सापेक्ष ₹ 55.68 करोड़ (86.55 प्रतिशत) मूल्य की आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की आपूर्ति में 4 से 571 दिनों के मध्य विलम्ब (औषधि की आपूर्ति के लिए दो महीने का समय[14] अनुमत करने के बाद) हुआ तथा ₹ 11.32 करोड़ की कुल आपूर्ति के सापेक्ष ₹ 8.00 करोड़ (70.67 प्रतिशत) मूल्य की होम्योपैथिक औषधियों की आपूर्ति में 13 से 964 दिनों के मध्य विलम्ब हुआ।

शासन ने कहा (जनवरी/फरवरी 2025) कि औषधियों के निर्माण में 2 से 6 महीने का समय लगता है, यह आशा थी कि 2 महीने के भीतर आपूर्ति कर दी जाएगी, कोविड महामारी की अवधि में आपूर्ति प्रभावित हुई थी, विलम्बित आपूर्ति के लिए फर्म से स्पष्टीकरण मांगा गया है और भविष्य में आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता-ज्ञाप निष्पादित करके औषधियों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं के साथ किसी भी समझौता-ज्ञाप/अनुबंध को निष्पादित किए बिना और यहाँ तक कि आपूर्ति आदेशों में आपूर्ति की अवधि का उल्लेख किए बिना आपूर्ति ली गई थी। औषधियों के उत्पादन में लगने वाले समय का आपूर्ति से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि यह औषधि निर्माणशालाओं में एक सतत प्रक्रिया है तथा एक ही स्रोत से आपूर्ति लेने की कोई बाध्यता नहीं थी जैसा कि प्रस्तर 6.1.3 में चर्चा की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य की अपनी औषधि निर्माणशालाओं का भी कम उपयोग किया गया था जैसा कि प्रस्तर 5.1.2 में चर्चा की गई है।

6.1.7 आपूर्ति की शर्तों का उल्लंघन कर औषधियों का क्रय

फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन और गोवा एंटीबायोटिक्स को दिए गए आपूर्ति आदेशों में यह प्रावधानित था कि आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान सम्बन्धित जनपदों के

[14] जैसा कि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा औषधियों की आपूर्ति के लिए अपनाया गया है।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों/ जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा औषधियों की प्राप्ति की प्रमाणित की गयी मात्रा/मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों/जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों से पुष्टि के बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था। चयनित जनपदों के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों/जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच में ₹ 31.53 लाख (जीएसटी सहित ₹ 33.11 लाख) मूल्य की औषधियों की कम आपूर्ति का पता चला जिसका विवरण परिशिष्ट-9 में दिया गया है।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि औषधियों की कम आपूर्ति के प्रकरणों में जिला स्तर पर कार्यवाही की जाती है और आपूर्तिकर्ताओं को कम आपूर्तित औषधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये हैं। औषधियों के कम आपूर्ति के प्रकरणों की पुष्टि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रयागराज और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत द्वारा की गई है तथा जनपदों द्वारा आपूर्ति की पुष्टि किये जाने के उपरांत अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने स्वयं कम आपूर्ति के प्रकरणों की पुष्टि की है, आपूर्ति आदेश की प्रति जनपदों को उपलब्ध नहीं कराई जाती है और इस प्रकार आपूर्तित औषधियों के सत्यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी तथा भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी मांग के आधार पर किये गये थे।

6.1.8 गुणवत्ता परीक्षण के बिना औषधियों का क्रय

मिशन के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 4.4 में प्रावधान है कि विक्रेता द्वारा आपूर्त की जा रही औषधियों में से एक बार में पाँच प्रतिशत यादृच्छिक नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए निकाले जा सकते हैं। दिशा-निर्देशों में आगे कहा गया है कि यदि नमूने, मानक गुणवत्ता के नहीं पाए जाते हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, गुणवत्ता नियंत्रण दिशा-निर्देशों के अनुसार, विक्रेता और विनिर्माण इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य आयुष सोसायटी ने गुणवत्ता परीक्षण के लिए आयुष औषधियों का कोई नमूना कभी नहीं भेजा और पूरी तरह से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टों पर भरोसा किया। यहां तक कि इन औषधियों को

परीक्षण के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भी नहीं भेजा। परिणामस्वरूप, स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण के बिना औषधियों को स्वीकार कर लिया गया।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन की अपनी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है तथा फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन और गोवा एंटीबायोटिक्स, राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से गुणवत्ता परीक्षण के बाद औषधियों की आपूर्ति करते हैं। उत्तर से पुष्टि होती है कि राज्य आयुष सोसायटी ने केवल आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टों पर ही भरोसा किया तथा, यद्यपि मिशन के दिशानिर्देशों के अधीन ऐसा करना आवश्यक था, आपूर्ति की गई औषधियों में से पाँच प्रतिशत नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु नहीं भेजा।

6.2 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों का अभिसरण किए बिना औषधियों का उत्पादन और क्रय

मिशन के कार्यान्वयन से पहले आयुष औषधियों के क्रय और आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता था। मिशन के कार्यान्वयन (सितंबर 2014) के बाद, जिसमें लागत की राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली 40 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आयुष औषधियों की आपूर्ति सम्मिलित थी, उत्तर प्रदेश शासन ने आयुष औषधियों के क्रय के लिए राज्य बजट से धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रखी। जनपदों में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों और जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों तथा राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा औषधियों का क्रय किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार जनपद लखनऊ और पीलीभीत में स्थित राजकीय औषधि निर्माणशालाओं को भी आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के उत्पादन और औषधालयों और चिकित्सालयों को उनकी आपूर्ति के लिए धन उपलब्ध कराती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के मध्य राज्य बजट से मानक मद-39 और 43 के अंतर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के क्रय के लिए क्रमशः ₹ 54.03 करोड़, ₹ 11.10 करोड़ और ₹ 27.14 करोड़ (कुल: ₹ 92.27 करोड़) तथा ₹ 38.13 करोड़, ₹ 11.46 करोड़ और ₹ 1.02 करोड़ (कुल: ₹ 50.61 करोड़[15]) का कुल व्यय किया गया जबकि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के क्रय के लिए मिशन की निधि

[15] मानक मद 43 के अंतर्गत व्यय में औषधि निर्माणशालाओं द्वारा औषधियों के उत्पादन में किया गया व्यय भी सम्मिलित है।

से क्रमशः ₹ 335.61 करोड़, ₹ 53.75 करोड़ और ₹ 108.53 करोड़ (कुल: ₹ 497.89 करोड़) का व्यय किया गया। तथापि, विभिन्न स्रोतों से औषधियों के क्रय के लिए कोई अभिसरण नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- उत्तर प्रदेश शासन ने ऐसी सामान्य और आपातकालीन आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की एक राज्य औषधि सूची निर्गत की (सितंबर 1999) जिन्हें औषधालयों और चिकित्सालयों में उपलब्ध होना आवश्यक था। होम्योपैथिक औषधियों के लिए आवश्यक औषधियों की ऐसी कोई सूची नहीं बनायी गई थी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत (दिसंबर 1999) उक्त सूची को मिशन के क्रियान्वयन और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवश्यक औषधियों की सूची निर्गत किये जाने के पश्चात् न तो अद्यतन किया गया था और न ही संशोधित किया गया। इसके फलस्वरूप मार्च 2013 तथा जनवरी 2022 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आवश्यक औषधि-सूची के आधार पर राज्य आयुष सोसायटी द्वारा तैयार की गई संक्षिप्तीकृत आवश्यक औषधि सूची और संक्षिप्तीकृत राज्य औषधि सूची में से क्रमशः 37 और 30 आयुर्वेदिक के साथ-साथ 25 और 21 यूनानी औषधियां उभयनिष्ठ थीं जिसके परिणामस्वरूप दो अलग-अलग स्रोतों से एक ही प्रकार की औषधियों का क्रय हुआ।
- 2018-23 की अवधि में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ द्वारा उत्पादित 18 से 29 आयुर्वेदिक औषधियों एवं 11 से 24 यूनानी औषधियों में से क्रमशः 8 से 13 आयुर्वेदिक औषधियों और 3 से 7 यूनानी औषधियों की आपूर्ति फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन द्वारा भी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एक ही प्रकार की औषधियों का क्रय और उत्पादन हुआ।

यदि निधि के एकल स्रोत या एक दूसरे के अभिसरण के साथ कई स्रोतों का उपयोग व्यापक प्रकार की औषधियों के क्रय में किया गया होता तो उपरोक्त से बचा जा सकता था।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि मिशन के अंतर्गत सीमित बजट के कारण आवश्यक औषधि-सूची के अंतर्गत सभी औषधियां क्रय नहीं की गईं तथा औषधियों की शेष आवश्यकता की पूर्ति राज्य के बजट और राजकीय औषधि निर्माणशालाओं से पूरी की जाती है। उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दुओं को संबोधित नहीं करता है।

6.3 चिकित्सालयों और औषधालयों तक औषधियों की ढुलाई

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित औषधालयों और चिकित्सालयों तक औषधियों की ढुलाई के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- औषधियों के लिए आपूर्ति आदेश देते समय राज्य आयुष सोसायटी ने शर्त सम्मिलित की थी कि "फर्म संलग्न सूची में उल्लिखित गंतव्यों तक अपनी लागत पर औषधियों की आपूर्ति करेगी"। यद्यपि किसी भी आपूर्ति आदेश के साथ ऐसी कोई सूची संलग्न नहीं पाई गई। परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालयों[16] में स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों /जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों तक ही औषधियाँ पहुँचाई गईं। नमूना जाँच किए गए जनपदों के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों/जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि उक्त औषधियां सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर/ अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके औषधालयों/चिकित्सालयों तक ले जायी जाती हैं।

- भारत सरकार ने योजना की गतिविधियों के नियमित और व्यवस्थित अनुश्रवण के लिए राज्य और जनपद स्तर के पदाधिकारियों को मोबिलिटी सपोर्ट प्रदान करने के लिए 2018-19 से 2020-21 की अवधि की में कुल ₹ 2.39 करोड़[17] की धनराशि स्वीकृत की जिसके सापेक्ष राज्य आयुष सोसायटी ने ₹ 0.99 करोड़[18] का व्यय किया। राज्य आयुष सोसायटी ने जनपद आयुष समितियों को मोबिलिटी सपोर्ट की धनराशि अवमुक्त की और उन्हें उक्त धनराशि से औषधि की ढुलाई के लिए भुगतान करने की अनुमति दे दी (नवंबर 2019)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए बांदा, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद और प्रयागराज जनपदों की आयुष समितियों ने औषधियों की ढुलाई में क्रमशः ₹ 1.23 लाख, ₹ 0.64 लाख, ₹ 1.76 लाख, ₹ 1.54 लाख और ₹ 0.27 लाख (कुल: ₹ 5.44 लाख) का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप मोबिलिटी सपोर्ट की धनराशि का अनियमित व्यय हुआ।

---

[16] कभी-कभी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी दो या अधिक जिलों का प्रभार संभालते हैं, और इन जनपदों के लिए आपूर्ति उन जिलों में की जाती है जहां क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का कार्यालय स्थित होता है।

[17] वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की अवधि के मध्य क्रमशः ₹ 1.00 करोड़, ₹ 0.49 करोड़ और ₹ 0.90 करोड़।

[18] वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की अवधि के मध्य क्रमशः ₹ 0.75 करोड़, ₹ 0.24 करोड़ और ₹ 0.00 करोड़।

शासन ने जिला स्तरीय कार्यालयों में आपूर्ति लेने की बात स्वीकार की (जनवरी 2025) और कहा कि औषधियों की ढुलाई में मोबिलिटी सपोर्ट के अंतर्गत प्राप्त धन का उपयोग करने के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों/क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों/जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए गए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय आयुष मिशन ने आपूर्तकर्ताओं को वांछित स्थानों तक औषधियों की आपूर्ति करने का निर्देश देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश दिया है (सितंबर 2023) और मिशन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत, मोबिलिटी सपोर्ट की धनराशि, योजना के क्रियाकलापों का अनुश्रवण करने के लिए ही थी।

संक्षेप में, चिकित्सालयों और औषधालयों के लिए औषधियों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए कोई उचित प्रक्रिया नहीं थी और विभिन्न श्रेणियों (4/15/25 शय्याओं वाले) के चिकित्सालयों और औषधालयों को एक समान मात्रा और प्रकार की औषधियों की आपूर्ति की गयी थी। औषधियों के अनुचित क्रय के प्रकरण भी संज्ञान में आये। निधि की उपलब्द्धता के बावजूद वर्ष 2016-17 और 2017-18 की अवधि में किसी आयुर्वेदिक व यूनानी औषधि का क्रय नहीं किया गया था। वर्ष 2017-18 व 2018-19 हेतु प्राप्त निधि से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, वर्ष 2020-21 व 2019-20 में, सम्बन्धित वर्षों हेतु राज्य वार्षिक कार्य-योजना के सापेक्ष प्राप्त धन के आपूर्ति आदेश के साथ किये गये। पुनः, यद्यपि पचास शैय्या वाले 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों ने दिसम्बर 2021 में सञ्चालन प्रारम्भ कर दिया था तथा औषधि क्रय के लिए 2021-22 की राज्य वार्षिक कार्य-योजना के सापेक्ष निधि स्वीकृत हो गयी थी (दिसम्बर 2021), ₹ 1.97 करोड़ का आपूर्ति आदेश मई 2022 में निर्गत किया गया था। नमूना जांच किए गए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों, जनपदीय होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों और आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों और चिकित्सालयों की लेखापरीक्षा से संज्ञान में आया कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के मध्य ₹ 64.33 करोड़ की कुल आपूर्ति के सापेक्ष ₹ 55.68 करोड़ (86.55 प्रतिशत) मूल्य की आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की आपूर्ति में 571 दिनों तक का और ₹ 11.32 करोड़ की कुल आपूर्ति के सापेक्ष ₹ 8.00 करोड़ (70.67 प्रतिशत) की होम्योपैथिक औषधियों की आपूर्ति में 964 दिनों तक का विलम्ब (औषधियों की आपूर्ति के लिए दो महीने का समय अनुमत करने के उपरांत) हुआ। राज्य आयुष सोसायटी द्वारा अपने स्तर पर औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर दिया गया। औषधियों का क्रय और राजकीय औषधि

निर्माणशालाओं में औषधियों का उत्पादन अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त निधि के अभिसरण के बिना किया गया। आपूर्तिकर्ताओं से औषधियों की ढुलाई गन्तव्य तक नहीं ली गई और औषधियों की कम आपूर्ति के प्रकरण भी संज्ञान में आये।

अनुशंसा 9: चिकित्सालयों और औषधालयों से औषधियों की आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए।

अनुशंसा 10: औषधियों के अनुचित क्रय की जांच की जानी चाहिए और उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए। विभिन्न स्रोतों के अभिसरण के साथ औषधियों का क्रय और उत्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 11: आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता/समझौता ज्ञाप निष्पादित किया जाना चाहिए जिसमें औषधियों की समय पर आपूर्ति और आपूर्ति के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति का समय और स्थान सम्मिलित किया जाना चाहिए।